महत्वपूर्ण

संख्या-5229/नौ-5-2014-324सा/14

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,नगरीय निकाय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांक 08 सितम्बर, 2014

विषयः योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि में संशोधन के क्रम में नगर विकास विभाग द्वारा कियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों में निकायों की प्रायोजनाओं/आगणनों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/दस-2014 -10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों में योजनाओं/परियोजनाओं की लागत में विगत वर्षो में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप वित्त विभाग द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु पूर्व में विद्यमान व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था का निर्धारण किया गया है :-

क्र.सं.	परियोजना में व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का परीक्षण
1	5 करोड़ रूपये तक	प्रशासकीय विभाग
2	5 करोड़ रूपये से अधिक एवं 25 करोड़ रूपये तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हो)
3	5 करोड़ रूपये से अधिक एवं 25 करोड़ रूपये तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हो)
4	25 करोड़ रूपये से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति।

2- सन्दर्भित शासनादेश की उपर्युक्त व्यवस्थानुसार परियोजनाओं में व्यय के प्रस्तावों में मूल्यांकन, उनके औचित्य का परीक्षण एवं संस्तुति के उपरान्त, ₹ 25 करोड़ तक व्यय के प्रस्तावों पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन, ₹ 25 करोड़ से अधिक एवं 100 करोड़ रूपये तक व्यय के प्रस्तावों पर मा0 विभागीय मंत्री एवं मा0 वित्त मंत्री का अनुमोदन, 100 करोड़ रूपये से अधिक एवं 200 करोड़ रूपये के व्यय के प्रस्तावों पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन तथा 200 करोड़ रूपये से अधिक के व्यय के प्रस्तावों पर मा0 मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त व्यय के ऐसे प्रस्तावों जिनमें केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत या उससे अधिक है का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा जो केन्द्रांश अनुमन्य किया जायेगा। उसी के सापेक्ष समानुपातिक रूप से राज्यांश की स्वीकृति दी जा सकेगी।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन, उनके औचित्य का परीक्षण एवं संस्तुति दिये जाने की प्रक्रियाओं में प्रश्नगत संशोधन किये जाने के पश्चात् नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, उत्तर प्रदेश जल निगम, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कियान्वित की जाने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन, उनके औचित्य के परीक्षण एवं आगणनों को शासन को संस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें-

(1) प्रदेश में नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न नगर निगमों, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम में मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी उपलब्ध है, किन्तु प्रदेश की विभिन्न नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता स्तर के तकनीकी अधिकारी तैनात नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में स्थित विभिन्न नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं/परियोजनाओं/प्राक्कलनों/प्रायोजनाओं/आगणनों के व्यय के प्रस्तावों/डीपीआर, जिनकी लागत ₹ 5 करोड़ तक है, का परीक्षण जनपद/मण्डल स्तर पर नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन नगर निगम, उ0प्र0 जल निगम तथा सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों/अनुपलब्धता की स्थिति में ₹ 5 करोड़ तक के आगणनों का परीक्षण उक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष स्तर से भी कराया जा सकता है।

(2) प्रदेश की नागर निकायों द्वारा तैयार की जाने वाली ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं/प्राक्कलनों/प्रायोजनाओं/आगणनों के व्यय के प्रस्तावों/डीपीआर, जिनकी लागत ₹ 5 करोड़ से अधिक एवं ₹ 25 करोड़ तक है, का परीक्षण जनपद/मण्डल स्तर पर नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन नगर निगम, उ0प्र0 जल निगम तथा सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर/समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) योजनाओं/परियोजनाओं/प्राक्कलनों/प्रायोजनाओं/आगणनों का गठन लोक निर्माण विभाग के अद्यतन शिड्यूल ऑफ रेट के अनुसार है, तथा इस आशय का उल्लेख प्राक्कलनों में किया जाएगा।

(4) कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से टुकड़ों में अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं किया जायेगा।

(5) कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कार्य स्थल पर कोई विवाद न हो और यथावश्यकता भूमि उपलब्ध हो।

(6) कार्ययोजना/डीपीआर के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाय कि " प्रश्नगत कार्य कार्य योजना में प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है, न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।"

(7) कार्ययोजना/डीपीआर में कार्य के औचित्य तथा आवश्यकता के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट/संक्षिप्त प्रतिवेदन संलग्न किया जाय।

भवदीय,

8/9/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या -5229 (1)/9-5-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ तथा निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल/सूडा।

4- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।